दिनांक 04.07.2025
प्रेस विज्ञप्ति 07/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

एस0टी0एफ0–अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग का सदस्य एवं जनपद बांदा से गैगस्टर एक्ट में वांछित रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त यशपाल सिंह चौक गिरफ्तार।

दिनांक 04–07–2025 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग का सदस्य एवं थाना बबेरू, जनपद बाँदा के मु0अ0सं0 237/25 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट में वांछित रू0 50 हजार पुरस्कार घोषित अपराधी यशपाल सिंह चौक को जनपद मेरठ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1– यशपाल सिंह चौक पुत्र धारा, निवासी ग्राम नंगलाताशी, थाना कंकरखेडा, जनपद मेरठ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

दिनाक 04–07–2025 समय 12.20 बजे, जे0पी0 अस्पताल के पास रोहडा रोड, थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ क्षेत्र।

उल्लेखनीय है कि थाना बबेरू जनपद बॉदा के मु0अ0सं0 235/25 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित रू0 50–50 हजार के ईनामी अपराधी रिंकू राठी एवं बिल्लू उर्फ बीर सिंह को एस0टी0एफ0 नोएडा गौतमबुद्धनगर द्वारा दिनांक 01–07–2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसी अभियोग में रू0 50 हजार का ईनामी अपराधी यशपाल सिह चौक भी वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु श्री राजकुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक फील्ड यूनिट नोएडा के पर्यवेक्षण में उप–निरीक्षक श्री अवध नारायण चैाधरी एवं उप–निरीक्षक दीपक कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर पूर्व से अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 04–07–2025 को एस0टी0एफ0 नोएडा टीम वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों की तलाश में जनपद मेरठ के थाना कंकरखेडा क्षेत्र में भ्रमणशील थी। इस दौरान सूचना प्राप्त हुई कि जनपद बाँदा के थाना बबेरू के मु0अ0सं0 237/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित व रूपये 50,000 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त यशपाल जेपी अस्पताल रोहडा रोड पर आने वाला है। इस सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए स्थानीय पुलिस को साथ लेकर उक्त स्थान पर पहूँच कर अभियुक्त यशपाल सिंह चौक को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त यशपाल सिंह, उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि परिवार की स्थिति अच्छी न होने के कारण वह प्रारम्भ में ट्रको पर हेल्पर का काम करता था। उसके बाद वह ट्रकों पर ड्राईवरी का काम करने लगा। उसी दौरान बैक से लोन लेकर एक डी0सी0एम0 ट्रक खरीदा था परन्तु लोन की किश्त नही चुका पा रहा था तो इसी दौरान इसकी मुलाकात ट्रान्सपोर्ट का कार्य करने वाले एवं शराब/अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले रिंकू राठी पुत्र स्व0 राजेन्द्र राठी निवासी सैदपुर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद से हुई। ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में रिंकू राठी के साथ मिलकर शराब एवं अवैध मादक पदार्थ को अपने ट्रक में माल के अन्दर छिपाकर लाने ले जाने का काम करने लगा। अभियुक्त यशपाल सिंह ने बताया कि वह अपने साथी रिंकू राठी, बिल्लू उर्फ बीर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी कांशी सैदपुर थाना भोजपुर एवं मनीष पुत्र जगवीर निवासी डालयान ग्राम डिग्गल थाना दुजाना जनपद झज्जर, हरियाणा के साथ मिलकर हरियाणा, पंजाब से ट्रक में अवैध शराब भरकर बिहार, गुजरात में सप्लाई के लिए ले जाता था। वापसी में उडीसा से ट्रक में लदे माल के अन्दर अवैध गांजा छिपाकर लाता था, जिसकी सप्लाई हरियाणा, एनसीआर क्षेत्र में की जाती थी। वर्ष 2023 में अभियुक्त यशपाल सिंह एवं इसका साथी बिल्लू उर्फ बीर सिंह द्वारा उडीसा से ट्रक में स्कैब व खाली गत्तों के बीच में गांजा छिपाकर लाया जा रहा था, जिसको मनीष ने उडीसा में अरेंज कराया था। तभी रास्ते मे अभियुक्त यशपाल सिंह एवं बिल्लू उर्फ बीर सिंह को जनपद बांदा में थाना बबेरू की पुलिस द्वारा पकड लिया गया था। इस सम्बन्ध में अभियुक्त यशपाल सिंह एवं बिल्लू उर्फ बीर सिंह के विरूद्व थाना बबेरू जनपद बांदा मे मु0अ0सं0 355/23 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में अभियुक्त यशपाल सिंह करीब पॉच माह जेल में रहा था और जेल से छूटने के बाद वह मेरठ में रह रहा था। इसके विरूद्ध थाना बबेरू, जनपद बांदा में गैगेस्टर का अभियोग पंजीकृत होने पर यह फरार हो गया जिसमें इसके गिरफ्तारी हेतु 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

अभियुक्त यशपाल सिंह चौक का ज्ञात अपराधिक इतिहास–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	355/23	8/20/29 एनडीपीएस एक्ट	बबेरू,	बॉदा
2	237/25	2/3 गैगस्टर एक्ट	बबेरू	बॉदा

गिरफ्तार अभियुक्त यशपाल सिंह चौक, उपरोक्त को थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ में दाखिल किया गया तथा थाना बबेरू जनपद बांदा की पुलिस द्वारा ट्रांजिट रिमांड की कार्यवाही कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद महोबा/थाना कबरई

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **नगद रूपये**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 04.07.2025 को थाना कबरई व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिचौरा रोड डबल पुलिया के पास बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त आशाराम उर्फ अस्सू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से नगद रूपये, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद महोबा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कबरई पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आशाराम उर्फ अस्सू निवासी हमीरपुर चुंगी न्यू सिटी थाना कोतवाली जनपद महोबा।

बरामदगी

1—नगद रूपये।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—01 मोटर साइकिल।

जनपद अमरोहा/थाना रजबपुर

- **07 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के माल बिक्री के 03 लाख 130 रूपये नगद**
- **लगभग 03 लाख 50 हजार रूपये कीमत के चोरी के (सोने–चाँदी) के आभूषण**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 03.07.2025 को थाना रजबपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम सकरपुर नहर पुलिया के पास से अभियुक्त 1–इरफान 2–अरमान 3–रिजवान 4–फुरकान 5–अनीश 6–सलमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही पर अभियुक्त 7–सचिन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर चोरी के माल बिक्री के 03 लाख 130 रूपये नगद, लगभग 03 लाख 50 हजार रूपये कीमत के चोरी के (सोने–चाँदी) के आभूषण, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19/20.04.2025 को थाना रजबपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रजबपुर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त इरफान के विरूद्ध जनपद रामपुर, अमरोहा, बरेली, मुरादाबाद व कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 33 अभियोग, अभियुक्त अरमान के विरूद्ध जनपद मुरादाबाद, रामपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 30 अभियोग, अभियुक्त रिजवान के विरूद्ध जनपद रामपुर के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस

एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 21 अभियोग, अभियुक्त फुरकान के विरूद्ध जनपद मुरादाबाद, अमरोहा व रामपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 17 अभियोग, अभियुक्त अनीश व सलमान के विरूद्ध जनपद अमरोहा, रामपुर के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 08–08 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना रजबपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इरफान निवासी ग्राम मुण्डिया मिलक उर्फ गंजो वाली भगतपुर जनपद मुरादाबाद।

2–अरमान निवासी ग्राम मुण्डिया मिलक उर्फ गंजो वाली भगतपुर जनपद मुरादाबाद।

3–रिजवान निवासी ग्राम मुण्डिया मिलक उर्फ गंजो वाली भगतपुर जनपद मुरादाबाद।

4–फुरकान निवासी ग्राम मुण्डिया मिलक उर्फ गंजो वाली भगतपुर जनपद मुरादाबाद।

5–अनीश निवासी बारसी नगर मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद।

6–सलमान निवासी ग्राम बसावनपुर भोजपुर जनपद मुरादाबाद।

7–सचिन निवासी कानूनगोयान थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1–चोरी के माल बिक्री के 03 लाख 130 रूपये नगद।

2–लगभग 03 लाख 50 हजार रूपये कीमत के चोरी के (सोने–चाँदी) के आभूषण।

3–02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि।

➢ **जनपद गोण्डा/थाना मनकापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 16 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोण्डा द्वारा थाना मनकापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/354/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सुमित्रानन्दन को सश्रम आजीवन कारावास व 16 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद इटावा/थाना सिविल लाइन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 20–20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 40–40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376डी/366 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–अनिल कुमार 2–अनुज उर्फ भोला को 20–20 वर्ष के सश्रम कारावास व 40–40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोण्डा/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 23 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त संतोष को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 23 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————